कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांक–न–5(02)पु.फो./कानि.भर्ती/2019/1602 दिनांकः–04 दिसम्बर, 2019.

कॉन्स्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला/यूनिट/बटालियन में कॉन्स्टेबल सामान्य, कॉन्स्टेबल चालक के 5000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन–पत्र (online application form) आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र Online राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई–मित्र कियोस्क, जनसुविधा केन्द्र CSC (Common Service Centre) एवं विभाग की वेबसाईट पर विज्ञप्ति **समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की दिनांक के 15 दिवस पश्चात भरे जा सकते हैं।**

भर्ती प्रकिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेगें।

कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफ लाईन प्रकिया (ओएमआर आधारित) से माह फरवरी/मार्च,2020 में आयोजित किये जाने की सम्भावना है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों/वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के **स्थाई आदेश संख्या–14/2019 एवं 15/2019** में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेशों में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की दिनांक के 15 दिवस पश्चात से 30 दिवस तक भरे जा सकेगें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना, समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें।

1. आवेदन प्रक्रिया :–

(क) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन 'online application form' लिये जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई–मित्र कियोस्क या जन–सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना/होना आवश्यक होगा।

परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 0291–3057541 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा 'online application form' निम्नानुसार भरा जा सकता है :–

i. स्वयं के स्तर परः– अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से वेबसाईट http://recruitment2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट–बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

ii. राज्य सरकार के अधीन संचालित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर–

(a) आवेदक- आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु रुपये 30 +GST. संबंधित ई–मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देय होगें, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

(ग) हाथ से भरे गये आवेदन–पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किऐ जाएगें।

(घ) परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई–मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा हो गया है।

(ङ) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गयी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक (DD/MM/YY) अंकित हो तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 20kb-50 kb) स्कैन हेतु, ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लायें। ध्यान रखा जावे कि लिखित परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश पत्र पर भी आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फोटो ही चस्पा की जावें।

नोटः–

(1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन ऑनलाईन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा–निर्देश (instruction) का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंवे एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(4) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

(5) आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन–पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नही हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।

(6) **आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक के पश्चात 15 दिवस तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार हेतु वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। यह ध्यान रखा जावे कि इन 15 दिवसों में केवल आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर दिया जायेगा, यह आवेदन पत्र भरने का अतिरिक्त अवसर नहीं होगा।**

2. परीक्षा शुल्क–

(क) सामान्य/आर्थिक पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु –रुपये 400/–

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आवेदक हेतु –रुपये 350/–
(केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)

(ग) सामान्य, आर्थिक पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक –रुपये 350/–
जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है
(कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प–8(3)कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02–05–2018 के अनुसार)

नोट–1–बिन्दु संख्या–ग से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को शारीरिक मापतौल (पीएसटी) के समय भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की स्थिति में पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

2–अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को शुल्क रुपये 400/– देय होगा।

3–परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए एवं recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

3. लिखित परीक्षा प्रवेश–पत्र

विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र ऑनलाईन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नही भेजा जाएगा। वेबसाईट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाने की सूचना लिखित परीक्षा हेतु ई–प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वैबसाइट से प्राप्त (download) करने हेतु sso id से login के पश्चात रिक्रूटमेन्ट पोर्टल (recruitment portal) से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जावेगी।

परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जायेगी।

4 भर्ती हेतु रिक्त पद

जिला/यूनिट/बटालियन में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। **इन पदों में उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के लिए आरक्षित 79 पद भी सम्मिलित है। जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगें।** वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में किसी भी समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी। **सामान्य क्षेत्र एवं टीएसपी क्षेत्र के लिए कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है–**

कॉन्स्टेबल सामान्य (सामान्य क्षेत्र)

क्र. सं.	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य वर्ग महिला					आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला					ओबीसी वर्ग महिला					एमबीसी वर्ग महिला					एससी वर्ग महिला					एसटी वर्ग महिला					सहरिया महिला						
		विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	योग	भू.पू.सैनिकों हेतु बैकलॉग पदों सहित
1	आयुक्तालय, जयपुर	26	6	65	231	328	4	1	10	38	53	0	0	0	0	0	2	0	5	19	26	5	1	12	45	63	4	1	12	45	62	0	0	0	0	0	532	150
2	जिला भिवाड़ी	4	1	10	37	52	1	0	2	11	14	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	1	0	4	15	20	4	1	10	37	52	0	0	0	0	0	145	18
3	जिला अजमेर	4	1	10	39	54	0	0	1	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	0	2	11	14	0	0	1	7	8	0	0	0	0	0	88	73
4	जिला भीलवाड़ा	1	0	4	15	20	0	0	2	8	10	4	1	9	37	51	0	0	1	4	5	0	0	2	8	10	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	102	57
5	जिला राजसमन्द	0	0	1	7	8	0	0	1	6	7	3	0	9	33	45	0	0	0	3	3	0	0	2	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	34
6	जिला चित्तौड़गढ़	2	0	5	21	28	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	4	19	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	42
7	जिला जैसलमेर	1	0	3	13	17	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	9	11	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	38	25
8	जिला बाड़मेर	0	0	1	5	6	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	4	18	23	1	0	2	11	14	0	0	0	0	0	49	23
9,	जिला पाली	0	0	0	4	4	0	0	1	6	7	2	0	7	26	35	0	0	0	3	3	1	0	3	15	19	0	0	1	8	9	0	0	0	0	0	77	34
10	जिला कोटा शहर	3	0	9	35	47	0	0	1	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	2	9	11	0	0	2	9	11	0	0	0	0	0	81	65
11	जिला कोटा ग्रामीण	5	1	14	54	74	1	0	4	16	21	3	0	8	33	44	0	0	2	8	10	3	0	8	32	43	1	0	3	15	19	0	0	0	0	0	211	54
12	जिला बारां	0	0	0	2	2	0	0	0	4	4	0	0	1	4	5	0	0	0	2	2	2	0	5	19	26	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	44	36
13	जिला झालावाड़	3	0	7	29	39	0	0	2	9	11	1	0	4	15	20	0	0	1	4	5	1	0	3	15	19	1	0	3	14	18	0	0	0	0	0	112	39
14	जिला बीकानेर	2	0	5	19	26	0	0	1	5	6	0	0	1	7	8	0	0	0	3	3	0	0	1	6	7	1	0	2	11	14	0	0	0	0	0	64	56
15	जिला चुरू	1	0	2	10	13	0	0	1	4	5	0	0	1	7	8	0	0	0	2	2	0	0	0	4	4	1	0	4	15	20	0	0	0	0	0	52	19
16	जिला श्रीगंगानगर	0	0	1	5	6	0	0	1	8	9	2	0	6	25	33	0	0	1	4	5	0	0	2	9	11	2	0	5	22	29	0	0	0	0	0	93	47
17	जिला हनुमानगढ़	5	1	13	50	69	0	0	1	8	9	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	1	7	8	0	0	1	6	7	0	0	0	0	0	98	33
18	जीआरपी अजमेर	0	0	0	0	0	0	0	2	10	12	6	1	16	57	80	0	0	1	4	5	2	0	4	19	25	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	124	43
19	जीआरपी जोधपुर	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	1	0	3	13	17	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	3	13	17	0	0	0	0	0	40	13
20	प्रथम बटालियन आरएसी, जोधपुर	0	0	0	3	3	0	0	1	7	8	2	0	6	23	31	0	0	0	4	4	0	0	2	8	10	2	0	6	22	30	0	0	0	0	0	86	14
21	द्वितीय बटा.आरएसी, कोटा	1	0	4	16	21	0	0	2	8	10	4	1	12	43	60	0	0	1	4	5	0	0	1	8	9	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	109	26
22	तीसरी बटा.आरएसी, बीकानेर	0	0	1	5	6	0	0	0	4	4	1	0	4	15	20	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	1	0	2	11	14	0	0	0	0	0	47	15

क्र. सं.	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य वर्ग महिला					आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला					ओबीसी वर्ग महिला					एमबीसी वर्ग महिला					एससी वर्ग महिला					एसटी वर्ग महिला					सहरिया महिला						
		विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	योग	भूपू.सैनिकों हेतु बैकलॉग पदों सहित
23	चतुर्थ बटा.आरएसी, जयपुर	2	0	6	26	34	0	0	1	7	8	0	0	2	8	10	0	0	0	4	4	1	0	3	15	19	0	0	1	7	8	0	0	0	0	0	83	16
24	पांचवी बटा. आरएसी,जयपुर	1	0	2	10	13	0	0	1	7	8	5	1	12	45	63	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	16
25	छठी बटा. आरएसी,धौलपुर	8	1	20	70	99	1	0	3	12	16	1	0	3	13	17	0	0	1	7	8	2	0	5	19	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	26
26	7वीं बटा.आरएसी, भरतपुर	1	0	4	19	24	0	0	1	4	5	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	1	0	4	16	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	12
27	8वीं बटा.आरएसी, दिल्ली	0	0	1	8	9	0	0	0	4	4	0	0	2	10	12	0	0	0	2	2	1	0	2	10	13	0	0	1	7	8	0	0	0	0	0	48	19
28	9वीं बटा. आरएसी, टोंक	1	0	2	10	13	0	0	1	5	6	2	0	7	26	35	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	0	0	0	0	0	64	10
29	10वीं बटा.आरएसी, बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	2	0	5	19	26	0	0	0	3	3	1	0	3	11	15	0	0	2	10	12	0	0	0	0	0	62	13
30	11वीं बटा. आरएसी,दिल्ली	1	0	4	15	20	0	0	1	4	5	0	0	0	3	3	0	0	0	2	2	0	0	1	6	7	1	0	3	11	15	0	0	0	0	0	52	21
31	12वीं बटा. आरएसी,दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	1	4	5	0	0	0	2	2	1	0	2	11	14	1	0	3	13	17	0	0	0	0	0	42	15
32	हाड़ीरानी महिला बटा, नारेली अजमेर केवल महिलाओं हेतु	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	0	12	0	13	0	0	2	0	2	1	0	16	0	17	1	0	11	0	12	0	0	0	0	0	48	11
33	हाड़ीरानी महिला बटा, नारेली अजमेर केवल पुरुषों हेतु	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	5	5	0	0	0	1	1	0	0	0	5	5	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	17	4
	योग	72	11	194	759	1036	7	1	47	235	290	40	4	131	473	648	2	0	17	121	140	26	1	100	379	506	22	2	82	324	430	0	0	0	0	0	3050	1079

कॉन्स्टेबल सामान्य (टीएसपी क्षेत्र)

क्र. सं.	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य वर्ग महिला					आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला					ओबीसी वर्ग महिला					एमबीसी वर्ग महिला					एससी वर्ग महिला					एसटी वर्ग महिला					सहरिया महिला						
		विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	योग	भूपू.सैनिकों हेतु बैकलॉग पदों सहित
1	एमबीसी खैरवाड़ा	6	1	15	57	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	14	18	0	0	0	0	0	97	23
2	एमबीसी बांसवाड़ा	3	1	9	37	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	0	3	12	16	0	0	0	0	0	70	8

क्र. सं.	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य वर्ग महिला					आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला					ओबीसी वर्ग महिला					एमबीसी वर्ग महिला					एससी वर्ग महिला					एसटी वर्ग महिला					सहरिया महिला						
		विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	योग	भू.पू.सैनिकों हेतु बैकलॉग पदो सहित
3	जिला उदयपुर	48	12	121	427	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	30	108	153	0	0	0	0	0	761	155
4	जिला डूंगरपुर	9	2	24	86	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	0	4	19	25	0	0	0	0	0	150	38
5	जिला प्रतापगढ़	8	2	20	72	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	0	1	7	8	0	0	0	0	0	116	31
6	जिला सिरोही	9	2	23	84	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	3	1	9	37	50	0	0	0	0	0	173	32
7	जिला बांसवाड़ा	12	3	31	112	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	7	27	36	0	0	0	0	0	197	45
8	जिला राजसमन्द	0	0	1	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	0	0	0	0	0	77	2
9	जिला चित्तौड़गढ़	0	0	1	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	13	1
10	जिला पाली	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	योग	95	23	245	894	1257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	22	21	4	58	235	318	0	0	0	0	0	1597	335

ॉन्स्टेबल चालक (सामान्य क्षेत्र)

क्र. सं.	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य वर्ग महिला					आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला					ओबीसी वर्ग महिला					एमबीसी वर्ग महिला					एससी वर्ग महिला					एसटी वर्ग महिला					सहरिया महिला						
		विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	योग	भू.पू.सैनिकों हेतु बैकलॉग पदो सहित
1	जिला नागौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	15	2
2	जिला उदयपुर	1	0	4	15	20	0	0	0	3	3	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	4
3	जिला जोधपुर ग्रामीण	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	13	4
4	जिला बाड़मेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	10	4
5	जिला जालौर	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	13	2
6	जिला पाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	12	3
8	जिला कोटा ग्रामीण	0	0	1	7	8	0	0	0	1	1	0	0	0	4	4	0	0	0	1	1	0	0	1	4	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	20	3
9	जिला बूंदी	0	0	0	4	4	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10	2

10	जिला बारां	0	0	1	6	7	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	2	9	11	24	6
11	जिला बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	11	2
12	जिला चूरू	0	0	1	7	8	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1
13	जिला श्रीगंगानगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	10	4
14	जीआरपी अजमेर	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2
15	प्रथम बटा.आरएसी, जोधपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	15	2
16	द्वितीय बटा.आरएसी, कोटा	0	0	1	4	5	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	11	3
17	तीसरी बटा. आरएसी,बीकानेर	0	0	1	7	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	14	1
18	चतुर्थ बटा.आरएसी, जयपुर	0	0	0	4	4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	13	2
19	पांचवी बटा.आरएसी, जयपुर	0	0	1	7	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2
20	8वीं बटा. आरएसी, दिल्ली	0	0	0	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	12	3
21	9वीं बटा.आरएसी, टोंक	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	13	2
22	13वीं बटा.आरएसी, जयपुर	0	0	0	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	13	4
23	14वीं बटा.आरएसी पहाड़ी भरतपुर	0	0	2	8	10	0	0	0	1	1	0	0	0	4	4	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	21	5
24	एसडीआरएफ, जयपुर	0	0	1	8	9	0	0	0	1	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	20	2
	योग	1	0	14	89	104	0	0	0	21	21	0	0	4	67	65	0	0	0	2	2	0	0	6	77	83	0	0	2	53	55	0	0	2	9	11	347	65

कॉन्स्टेबल चालक (टीएसपी क्षेत्र)

क.सं.	जिला/यूनिट का नाम	सामान्य वर्ग महिला					आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला					ओबीसी वर्ग महिला					एमबीसी वर्ग महिला					एससी वर्ग महिला					एसटी वर्ग महिला					सहरिया महिला						
		विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	पुरुष	योग	योग	भू.पू.सैनिकों हेतु बैकलॉग पद सहित
1	जिला सिरोही	0	0	1	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	12	1
	योग	0	0	1	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	12	1
	महायोग	168	34	454	1749	2405	7	1	47	256	311	40	4	135	534	713	2	0	17	123	142	26	1	108	476	611	43	6	142	616	807	0	0	2	9	11	5000	1480

नोटः– राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–13(20)कार्मिक/क–2/01/पार्ट दिनांक 12.09.2007 द्वारा ट्राईबल सब प्लान एरिया (जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ) में अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी को आरक्षण देय नहीं है। ट्राईबल सबप्लान एरिया के पद कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.16 में वर्णित प्रावधानानुसार भरे जायें।

6

[signature]

2— भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प—13(20) कार्मिक/क—2/91/पार्ट—3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा (अनुसूचित क्षेत्र, राजस्थान राज्य आदेश 2018) में राज्य के जिला उदयपुर/चित्तोडगढ/पाली/सिरोही/राजसमन्द के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में नया जोडने/बढाये जाने के कारण उन क्षेत्रों में भी अन्य पिछडा वर्ग/एमबीसी को आरक्षण देय नहीं है।

5. आरक्षण:—

(क) <u>महिलाओं के लिए:—</u>

विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ—7(2) डीओपी/ए—2/88/पार्ट—1 दिनांक 22.12.2015 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रकिया राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प—7(2) डीओपी/क—2/96/पार्ट दिनांक 13.01.2016 के अनुसार की जायेगी।

किसी वर्ग—विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी।

<u>स्पष्टीकरण</u>—विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

किसी वर्ग (सामान्य/आर्थिक पिछडा वर्ग/अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/टीएसपी/ एमबीसी/सहरिया) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया/टीएसपी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ख) <u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:—</u>

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत एवं गत भर्ती के बैकलॉग की रिक्ति,भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (horizontal) है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/ **आर्थिक पिछडा वर्ग** /अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया)का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। **भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों में गत भर्ती का बैकलॉग एवं वर्तमान विज्ञापित पदों का 12.5 प्रतिशत पदों को सम्मिलित किया गया है।**

कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ—5(18) डीओपी/ए—2/84 पार्ट—2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या—6 नियम—6(बी) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर—भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाण पत्र(एन.ओ.सी.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु उसे शारीरिक दक्षता/शारीरिक मापतौल के दौरान भर्ती बोर्ड को सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प—5(18) डीओपी/क—2/84 पार्ट दिनांक 22.08.2019 जोकि परिपत्र दिनांक 16.08.16 के अतिकमण में जारी किया गया है, में निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में एक बार से अधिक लाभ देय होगा।

राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम,1988 के नियम 2(5) के अनुसार यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्ति बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्ति को उक्त पद पर अन्य स्रोत से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार यह मानकर कि रिक्ति आरक्षित नहीं थी, भरी जायेगी।

परन्तु, इस प्रकार आरक्षित रिक्ति जिसे आरक्षित रखा गया हो, अगले भर्ती वर्ष तक अग्रनीत की जाऐगी, तदुपरान्त ऐसी रिक्तियां अनारक्षित मानी जाऐगी।

प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 7 में अंकितानुसार) 'अच्छा' होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगें।

<u>स्पष्टीकरण—</u> भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(ग) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति के लिए:-

(i) राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एमबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 'शून्य' रहेगा।

(ii) ट्राईबल सब प्लान एरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान एरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं स्थानीय अनारक्षित रिक्त स्थानों का विवरण भर्ती हेतु दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका एवं सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पद उपरोक्त तालिका में अंकित है।

(iii) जिला बारां में कॉन्स्टेबल पद के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों में सहरिया आदिम जाति के लिए रिक्त पदों की गणना कार्मिक विभाग के निर्देश कमांक प-13(20) क-2/91/पार्ट दिनांक 21.05.13 के अनुसार की गई है।

(घ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/2017 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार एम.बी.सी. वर्ग के लिए 5% आरक्षण देय होगा।

(ङ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/2019 दिनांक 20.10.2019 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये कम है उन्हें आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी मानते हुए 10% आरक्षण देय है।

(त) **उत्कृष्ट खिलाडी कोटे हेतु आरक्षित 79 पदों के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जा रही है जिसके लिए अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएगें। उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन पदों को अनारक्षित मानते हुए सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।**

(च) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी

राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

6. वेतनमान और पेंशन

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/-रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक(fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉन्स्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल-5 (Pay matrix-Level-5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कॉन्स्टेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट

(i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(iii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक)

जिला/यूनिट/बटालियन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस	मान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड से सैकण्डरी या दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
आर.ए.सी./एमबीसी बटालियन	मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

(iv) कॉन्स्टेबल ड्राईवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से एक वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV / HMV) होना आवश्यक है।

नोट- जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शारीरिक मापतौल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे शारीरिक मापतौल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(v) आयु सीमा-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-11 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ-7(82)डीओपी/ए-2/84/पार्ट दिनांक 25.06.2004 एवं एफ-2(1)डीओपी/ए-2/03/दिनांक 17.05.2018 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2020 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

(vi) कॉन्स्टेबल सामान्य आवेदकों के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.2002	02.01.97	02.01.92
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./ एम.बी. सी/सहरिया वर्ग	01.01.2002	02.01.92	02.01.87
राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित आशार्थियों और कर्त्तव्य का पालना करते हुए मारे गये मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित	01.01.2002	02.01.94	02.01.89
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2002	02.01.78	02.01.78

(vii) कॉन्स्टेबल चालक आवेदकों के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.2002	02.01.94	02.01.89
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./ एम. बी.सी/सहरिया वर्ग	01.01.2002	02.01.89	02.01.84
राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित आशार्थियों और कर्त्तव्य का पालना करते हुए मारे गये मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित	01.01.2002	02.01.91	02.01.86
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2002	02.01.78	02.01.78

(viii) शारीरिक मापदण्ड–

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एंव वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:–

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		बांरा जिले के सहरिया अदिवासियों के लिए मापदण्ड	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
न्यूनतम सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाऐ–81से.मी. फुलाने पर–86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाऐ–74से.मी. फुलाने पर–79से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
न्यूनतम वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

नोट–

1. यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।
2. पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–14(2) के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।
3. समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम उंचाई 152 से.मी. में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। किन्तु बांरा जिले की सहरिया आदिवासी महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम उंचाई 145 सेमी. मान्य रहेगी।

(ix) चिकित्सकीय मापदण्ड

1. अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6X6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee),नसें फूली हुई होना (varicose veins), भैंगापन (squint), रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) हरनिया (Hernia) शल्य प्रोबलम (surgical problems)–या अन्य कोई विकृति/अंग–भंग जो कर्त्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

8. नियुक्ति के लिए अयोग्यता

(i) किसी भी ऐसे पुरूष/महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01–06–2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01–06–2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्‌वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–7(1)डीओपी/ए–2/95/पार्ट–2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जायेगा।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।

(iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।
स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

(v) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

(vi) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में महानिदेशक पुलिस राजस्थान के परिपत्र क्रमांक 1300 दिनांक 28.03.17 में वर्णित निर्देशों के अनुसार एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियमों के तात्कालिक प्रावधान लागू होगें।

9. भर्ती हेतु चयन प्रकिया–

कॉन्स्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम,1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28 (3) के प्रावधानानुसार किया जायेगा।
परीक्षा के सभी चरणों के कुल 100 अंक हैं जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:–

परीक्षा का चरण	कान्स्टेबल सामान्य	कान्स्टेबल चालक
लिखित परीक्षा	75	75
शारीरिक दक्षता परीक्षा	15	10
दक्षता परीक्षा	लागू नहीं	15
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	10	लागू नहीं
अंकों का योग	100	100

10. लिखित परीक्षा–

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type)प्रकार के 150 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घन्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के ½ अंक देय होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑफलाईन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based) होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्‌यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी–

भाग – विषय	प्रश्न	अंक
अ –विवेचना एंव तार्किक योग्यता तथा कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान	60	30
ब –सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर	35	17.5
स– महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे सम्बन्धित कानूनी प्रावधान/नियमों की जानकारी।(इससे सम्बन्धित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जायेगी)	10	05
स –राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	45	22.5
कुल	150	75

इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक, समग्र रूप से लाना अनिवार्य है।

ट्राईबल सब–प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थी एवं बारॉ जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (minimum) सीमा लागू नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 75 का सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5 प्रतिशत शिथिलन राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–5(18) डीओपी/ए–2/84/पार्ट–2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या–9 में वर्णित नियम–18 ए(i) के अनुसार देय होगा।

लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न–पत्र सम्बन्धी आपत्तियॉं आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा में पदवार/वर्गवार/महिला/पुरूष रिक्तियों के पांचगुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा जिसकी सूचना एवं परिणाम वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी एवं सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test/PET) :-

सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन की पदवार/वर्गवार/महिला/पुरूष रिक्तियों के पांचगुणा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है।

1–कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक पद के आवेदकों के लिए :–

पदनाम	पुरूष		महिला		भूतपूर्व सैनिक		सहरिया एवं ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के अनु. जाति/अनुजनजाति		अंक
	टेस्ट	समय	टेस्ट	समय	टेस्ट	समय	टेस्ट	समय	
कान्स्टेबल सामान्य	5 किमी. दौड	25 मिनिट	5 किमी. दौड	35 मिनिट	5 किमी. दौड	30 मिनिट	5 किमी. दौड	30 मिनिट	15
कान्स्टेबल चालक	5 किमी. दौड	25 मिनिट	5 किमी. दौड	35 मिनिट	5 किमी. दौड	30 मिनिट	5 किमी. दौड	30 मिनिट	10

नोट–

1– शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नही होगा।

2– उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड पूर्ण नहीं करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेगें।

(ii) शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST)–

भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल परीक्षा लेगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील किये जायेगें।

अपील–शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रकियानुसार नकद रूपये 500/–शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रकिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की कियान्विति के लिए भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होगें। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा जिसमें एक फिजिशियन, एक सर्जन एवं एक हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। सीने की माप में अल्प समय में परिवर्तन होने की

सम्भावना रहती है। अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ड से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जाएगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ठ होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होगें। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगें तथा उसके हस्ताक्षर लेंगें।

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए **(PST Pass with Relexation)** एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए **(PST Pass without Relexation)** अंकित होगा।

<u>नोट</u>– अपील के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) <u>दक्षता परीक्षा (कॉन्स्टेबल ड्राईवर आवेदकों के लिए)</u>–

शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मापतौल में उत्तीर्ण कॉन्स्टेबल ड्राईवर पद के अभ्यर्थियों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 15 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत, ट्राईबल सब–प्लान क्षेत्र के स्थानीय सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत एवं बारॉ जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

<u>दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेगें।</u>

कानि. ड्राईवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रख–रखाव एवं वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी। दक्षता परीक्षा में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेगें तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

विस्तृत विवरण **स्थाई आदेश संख्या–14/2019 एवं 15/2019** में अंकित है।

(iv) <u>विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक</u>–

कॉन्स्टेबल सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक (कुल अंक 10) प्रदान किये जायेगें:–

<u>एन.सी.सी.</u>

क.सं.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1	सी– प्रमाण पत्र	5
2	बी– प्रमाण पत्र	4
3	ए– प्रमाण पत्र	3

<u>होमगार्ड</u>

क.सं.	सेवा अवधि	अंक
1	होमगार्ड में निरन्तर 3 वर्ष तक सेवा देने पर	5
2	होमगार्ड में निरन्तर 2 वर्ष तक सेवा देने पर	4
3	होमगार्ड में निरन्तर 1 वर्ष तक सेवा देने पर	3

<u>पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी</u>

क.सं.	डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त	अंक
1	एम.ए./एम.एस.सी. कीमीनोलाजी, साईबर सुरक्षा एवं इससे सम्बन्धित विषय	5
2	पुलिस प्रशासनिक/कानून/सोसायटी विषयों में स्नातक उपाधि	4
3	उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त	3

(उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी दो का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा।)

नोट– पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।)

(v) <u>चयन सूची</u>–

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा/मापतौल, विशेष योग्यता एवं चालक पद की दक्षता परीक्षा) के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयताक्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–7(1)डीओपी/ए–2/99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र चयन प्रकिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा अर्थात यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में स्वयं के वर्ग में उत्तीर्ण हुआ है परन्तु उसके अंक

अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से कम है तो अन्तिम चयन सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग के पदो के विरूद्व नहीं किया जायेगा।

(vi) स्वास्थ्य परीक्षण–

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील–उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(vii) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन–

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाईसेंस एवं विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जॉच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

11. प्रमाण पत्र–

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व–प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे–

(i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
(ii) आयु प्रमाण–पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
(iii) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र।
(iv) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(v) आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण–पत्र।
(vi) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण–पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
(vii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र।
(viii) टीएसपी/सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
(ix) निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति एवं आय प्रमाण पत्र।
(x) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5सेमी.)रंगीन फोटो।
(xi) विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।
(xii) कॉन्स्टेबल डाईवर हेतु स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV/ HMV) की मूल प्रति।
(xiii) एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त करने के प्रमाण पत्र।

12. महत्वपूर्ण निर्देश

(i) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 4 में उल्लेखित सैक्शन (i), (ii) (दो एमबीसी बटालियनों के मध्य) व (iv) में भर्ती कानि. को राजस्थान के किसी भी जिला/बटालियन/आई.आर. बटालियन में पदस्थापित किया जा सकेगा।
(ii) जिस जिला/बटालियन/यूनिट में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त हैं उन्हीं के लिए आवेदन–पत्र स्वीकार्य होगें।
(iii) आवेदन–पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन–पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रकिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगें। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।
(iv) निरस्त किए गये आवेदन–पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।
(v) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

(vi) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(vii) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

(viii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

(ix) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षो में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्चित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।

(x) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

(xi) अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या–11 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(xii) लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर.शीट) की जाँच व परिणाम जारी करने का कार्य कम्प्यूटर की मदद से किया जाएगा। परीक्षा के दौरान उत्तर–पत्रक में उत्तर पत्रक के पीछे की ओर छपे निर्देशों के अनुरूप सूचना भरना अनिवार्य है। उत्तर–पत्रक पर आवश्यक तथ्य अंकित न करने अथवा गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य कम्प्यूटर द्वारा होने के कारण पुनर्गणना अथवा उत्तर–पत्रक की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर पत्रक भरने के सम्बन्ध में निर्देश एवं नमूना, प्रवेश पत्र,राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगें।

(xiii) भर्ती प्रकिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश संख्या–14/2019 व 15/2019 एवं विज्ञप्ति विभाग की वैबसाईट http://recruitment2.rajasthan.gov.in एवं www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी सूचना भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(xiv) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर 0294-3057541 and email id-recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भर्ती प्रकिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भीऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेगें। इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (amendments) भी लागू होगें।

(डॉ.प्रशाखा माथुर)
महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महानिदेशक, गृहरक्षा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/कारागार/कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त पुलिस अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी, पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. मय आई.आर./एम.बी.सी. /हाडीरानी महिला बटालियन ।
9. समस्त प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान ।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक(प्रचार), सी.आई.डी.(सी.बी.),राजस्थान।
12. निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान।
13. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान।
14. प्रभारी, राजस्थान पुलिस वेबसाईट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि इसे तत्काल राजस्थान पुलिस वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।

महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती)
राजस्थान, जयपुर।